

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन
नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

क्रमांक/07/ पीएमटी-पीईटी/2022-23/ 7211

नवा रायपुर दिनांक 14/10/2022

युवा कैरियर निर्माण योजना (यथा संशोधित 2022) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में
नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से
“रूचि की अभिव्यक्ति” का आमंत्रण

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस हेतु कुल 400 (अनुसूचित जनजाति-86, अनुसूचित
जाति-64, अन्य पिछड़ा वर्ग-200 तथा ईडब्ल्यूएस-50) प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए नीट, जेईई, क्लेट,
एनडीए तथा पीएटी परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना अंतर्गत इस क्षेत्र में कोचिंग प्रदान किये जाने हेतु कार्यरत
निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से “रूचि की अभिव्यक्ति” के माध्यम से शासन से स्वीकृति मिलने के
अध्यधीन प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं।

1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि - 07.11.2022, अपरान्ह 3.00 बजे तक
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना - 09.11.2022, अपरान्ह 3.00 बजे
3. पात्र पाए गए संस्थाओं का निरीक्षण, समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं समग्र मूल्यांकन - पृथक से सूचित किया जावेगा

विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन कर प्राप्त कर सकते हैं।


(श्रीमती शर्मा आबिदी)

आयुक्त

✓ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
ब्लाक-डी, भू-तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़

Phone No. 0771-2263708, Fax No.-2262558, www.tribal.cg.gov.in, Email- ctd.cg@nic.in,

कमांक/07/ पीएमटी-पीईटी/2022-23/ 7212 नवा रायपुर दिनांक 14/10/2022

युवा कैरियर निर्माण योजना (यथा संशोधित 2022) के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में
नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से
“रूचि की अभिव्यक्ति” का आमंत्रण

छत्तीसगढ़ शासन आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के अधिकतम 400 (अनुसूचित जनजाति-86, अनुसूचित जाति-64, अन्य पिछड़ा वर्ग-200 तथा ईडब्ल्यूएस-50) प्रतिभावान विद्यार्थी, जो कक्षा 12वीं में कम से कम 70 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड से उत्तीर्ण किए हों तथा ड्राप लेकर नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, के लिए यह योजना बनाई गई है। इस योजनांतर्गत ऐसे कोचिंग संस्थाओं से जो राज्य में संचालित हो, जिनका इस क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव, उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री, विषय विशेषज्ञ तथा आवासीय एवं मेस सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम हों, उनसे शासन से स्वीकृति मिलने के अध्यधीन प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। योजनांतर्गत चयनित कोचिंग संस्था को विद्यार्थियों के लिए कोचिंग का समस्त व्यय, आवास एवं भोजन, पुस्तक, स्टेशनरी, चिकित्सा व्यय, प्रवेश परीक्षा शुल्क तथा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जावेगी।

कोचिंग संस्थाएं 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।

1. प्रथम बंद लिफाफा :- संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी विवरण।
2. द्वितीय बंद लिफाफा :- संस्था के तकनीकी योग्यता संबंधी विवरण।
3. तृतीय बंद लिफाफा :- वित्तीय लिफाफा।

इन तीनों लिफाफे को एक बड़ा लिफाफा में सील बंद कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना होगा। जमा किए जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर होना चाहिए। संस्था के अनिवार्य योग्यता संबंधी दस्तावेजों के सही/पूर्ण पाए जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जाएगा। द्वितीय लिफाफा (तकनीकी संबंधी योग्यता) में पात्र पाए जाने पर ही तृतीय लिफाफा खोला जाएगा।

संस्था के चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होगा। जिसमें 70 प्रतिशत अधिभार तकनीकी योग्यता एवं 30 प्रतिशत वित्तीय मूल्यांकन का अधिभार देते हुए तकनीकी एवं वित्तीय का संयुक्त मूल्यांकन पश्चात् अंतिम मूल्यांकन के आधार पर संस्था का चयन किया जाएगा।

तकनीकी मूल्यांकन :- न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही तकनीकी प्रस्ताव (लिफाफा) खोला जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा :-

क्र.	विवरण	निर्धारित अंक
1	संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो	20
2	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों में दी गई कोचिंग से नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त विद्यार्थियों का विवरण	20
3	शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण	10
4	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति	30
5	समस्या समाधान के तरीके	20

इच्छुक कोचिंग संस्थाओं को रु. 1000/- का चालान बैंक में "मद 0250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 102-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 800 अन्य प्राप्तियां (1)" में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रवती भवन, के नाम से जमा कर, चालान की प्रति प्रस्ताव के साथ प्रथम लिफाफा में संलग्न करना होगा।

1. प्रस्ताव को जमा करने की अंतिम तिथि - 07.11.2022, अपराह्न 3.00 बजे तक
2. निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना - 09.11.2022, अपराह्न 3.00 बजे
3. पात्र पाए गए संस्थाओं का निरीक्षण समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं समग्र मूल्यांकन - पृथक से सूचित किया जावेगा

लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। डाक विभाग के गड़बड़ी के कारण विलंब से प्राप्त होने वाले आवेदन मान्य नहीं होंगे।

- टीप :-
1. चयनित संस्था को समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 2. विद्यार्थियों की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम समानान्तर दर पर एक से अधिक संस्थाओं का चयन किया जा सकता है।
 3. लागत सह गुणवत्ता (Cost Cum Quality) के आधार पर संस्थाओं के चयन हेतु समिति द्वारा विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा।



(श्रीमती शर्मा आबिदी)

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

वर्ष 2022-23 में नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी की परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण हेतु
आवेदन पत्र

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांकदिनांक.....के संदर्भ में)

भाग- एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम अर्हता संबंधी अभिलेख)

किस परीक्षा की कोचिंग कराना चाहते हैं :- नीट ☐ जेईई ☐ क्लेट ☐
(सही ✓ का चिन्ह लगाये) एनडीए ☐ पीएटी ☐

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें
1.	(i) संस्था भारत सरकार अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एक्ट के तहत पंजीकृत हो। (ii) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। (iii) पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा प्राप्त शिकायत की पुष्टि होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन नम्बर (पेन कार्ड) की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (पेन नंबर अनिवार्यतः होना चाहिए)।	
3.	संस्था का जी.एस.टी. नम्बर (जी.एस.टी. प्रमाण पत्र)/टेन नंबर की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।	
3.	(i) संस्था विगत 03 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। जिसमें किसी एक वर्ष का टर्न ओवर रुपये 50.00 लाख या उससे अधिक होना चाहिए। (ii) पिछले 03 वर्षों में जमा किये गये सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. का विवरण (सत्यापित अभिलेख)	
4.	सुरक्षा निधि के रूप में रु 1.00 लाख का एफ.डी.आर. कोचिंग कार्य समाप्त होने की अवधि तक, जो आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इंद्रवती भवन, अटल नगर नवा रायपुर के पक्ष में हो, संलग्न करना होना।	

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर,
पद मुद्र सहित

भाग – दो (01)

(संस्था का सामान्य परिचय-पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) छ.ग. स्थित कोचिंग संस्था का नाम :
(ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :
:
(स) दूरभाष (कोड सहित) :
(द) ईमेल एड्रेस :
2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने :
हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है,
विभाग द्वारा जारी नवीनतम प्रमाण पत्र/पंजीयन का
क्रमांक एवं दिनांक
3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनीज एक्ट के अंतर्गत संचालित है तो :-
(अ) समिति/कंपनीज एक्ट का नाम :
:
(ब) समिति/कंपनीज एक्ट के कार्यालय :
का पूर्ण पता :
(स) दूरभाष (कोड सहित) :
4. (अ) समिति/कंपनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है :
(ब) समिति/कंपनी का जीवित पंजीयन क्रमांक :
(स) समिति/कंपनी का वैधता दिनांक :
(द) समिति/कंपनी के गवर्निंग बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक :
(इ) समिति/कंपनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक :
(फ) समिति/कंपनी के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, :
सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता :
मोबाईल नंबर सहित :
5. अशासकीय शिक्षण संस्था को किस :
प्रभाग की मान्यता प्राप्त है, तथा
किस अवधि तक के लिए वैध है, के
बारे में विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :-
(अ) इन्चार्ज का नाम :
(ब) शैक्षणिक अर्हता :
(स) अनुभव :

भाग – दो (02)

(कोचिंग संस्था के फैकल्टी, जिन्हें नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी कोचिंग में अध्यापन हेतु भेजा जाएगा)

1. (अ) फैकल्टी का विवरण :- सभी का बायोडाटा संलग्न किया जाये।

क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता	स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्रतिशत	अनुभव	अध्यापन का विषय
1	2	3	4	5	6	7	8

(ब) आवासीय सुविधा का विवरण :-

- i. छात्रावास हेतु कोचिंग संस्था का स्वयं का भवन है अथवा किराये पर—
(यदि किराये पर है, तो अनुबंध की प्रति संलग्न करें)
- ii. कितने छात्र-छात्राओं के लिए पृथक-पृथक आवासीय सुविधा है —
- iii. छात्रावास भवन में कुल आवासीय कमरों की संख्या एवं साईज —
- iv. छात्रावास भवन में पर्याप्त शौचालय एवं स्नानागार भवन की सुविधा—
- v. छात्रावास में शुद्ध पेयजल हेतु आर.ओ. सिस्टम की सुविधा —
- vi. मेस हॉल एवं ब्राऊण्डीवॉल सुविधाओं की उपलब्धता का विवरण —
- vii. छात्रावास संचालन एवं सुरक्षा हेतु नियोजित कर्मचारियों का विवरण —
(सूची संलग्न करें)
- viii. एनडीए कोचिंग संस्था को मैदान का विवरण —

टीप :- तकनीकी योग्यता अंतर्गत संस्था के स्थल निरीक्षण में उक्त सुविधाएं उपयुक्त नहीं पाये जाने पर चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकता है।

2. राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उपलब्धि का विवरण (पिछले 03 वर्षों की उपलब्धि का विवरण प्रतियोगी परीक्षा का नाम, शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या, सफलता का प्रतिशत प्रस्तुत करें)। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मोबाईल नंबर सहित संलग्न की जावें।
3. कोचिंग की अवधि — यह कोचिंग अधिकतम 01 वर्ष या उस वर्ष के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा दिनांक जो भी पहले हो, तक के लिए होगा।

4. योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति :-

1. अध्यापन की रणनीति (कालखंडों की संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम की प्राथमिकता, शैक्षणिक कलेण्डर, इकाई मूल्यांकन, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी आदि जो आवश्यक हो)।
2. उत्कृष्ट शिक्षण सामग्री की एक प्रति।
3. उत्कृष्ट शिक्षको को पूरे वर्ष नियोजित करने की योजना।
4. अभ्यर्थियों के अभ्यास हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन टेस्ट पेपर एवं मूल्यांकन तथा रिपोर्टिंग की व्यवस्था।
5. छात्रों/छात्राओं के सुरक्षित आवास एवं भोजन की व्यवस्था का विवरण।

अन्य शर्त :-

- (i) कोचिंग संस्था को प्रस्तावित दर की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान तीन किस्तों में किया जायेगा। शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान परीक्षा परिणाम पर आधारित होगा।
संस्था में उक्त योजना अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थियों में से न्यूनतम 15 प्रतिशत विद्यार्थियों का चयन संबंधित शासकीय संस्थाओं के लिए चयन होने पर शेष 20 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगा।
- (ii) केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा आवश्यकतानुसार कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा-निर्देश का पालन करते हुए कोचिंग कार्य कराया जाना होगा।
- (iii) किसी विशेष परिस्थिति में ऑनलाईन कोचिंग प्रदान करने पर केवल कोचिंग फीस का ही भुगतान किया जायेगा, अन्य शुल्क देय नहीं होगा।
- (iv) संस्था का संचालन युवा कैरियर निर्माण योजना नियमावली (यथा संशोधन 2022) में उल्लेखित शर्तों के अनुसार होगा।

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर

पद मुद्र सहित

भाग -दो (03)

संस्था संचालक की घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र के लिफाफा-(01 एवं 02) में दर्शाई गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

मैं नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी परीक्षा पूर्ण प्रशिक्षण (कोचिंग) योजना एवं "रुचि की अभिव्यक्ति" में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभांति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/कोचिंग कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करूंगा/करूंगी एवं अनुबंध के शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर/मोहर

सहित

वर्ष 2022-23 में नीट, जेईई, क्लेट, एनडीए तथा पीएटी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रूचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण

वित्तीय प्रस्ताव – भाग (तीन)

(रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक.....दिनांक.....के संदर्भ में)

क्र.	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि समस्त कर(जी.एस.टी.) सहित (दर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह)	
		अंको में	शब्दों में
1	नीट के परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग सह आवासीय सुविधा		
2	जेईई के परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग सह आवासीय सुविधा		
3	क्लेट के परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग सह आवासीय सुविधा		
4	एनडीए के परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग सह आवासीय सुविधा		
5	पीएटी के परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग सह आवासीय सुविधा		

उपरोक्त दर समस्त कर सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्र सहित)

- टीप :- 1. यह वित्तीय प्रस्ताव पृथक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत किया जावे।
2. कोई भी कांट-छांट स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Rev. H. & M.C. P. & Bear (B.L.)

Original / Duplicate / Triplicate

Subsidiary Rule 19 & 23 Under Treasury Rule 10

Challan only paid into The State Bank _____ Treasury

(To be presented at the Treasury Single or Duplicate or Triplicate as the Case may be)

(खजाने में इसकी एक या दो या तीन नकलें जैसे कायदा हो पेश करना चाहिए)

By whom brought कौन लाया	On what account किस बाबत	Under Rupees in Words कितने रूपयों के अंदर	Amount रकम	
			Rs.	P.
		Total मीजान		

In Words

Head of Revenue		Detail तफसील -
Major Head		Notes जोड -
Detailed Head		CASH नगदी -
		Total मीजान -

Certificate that the amount shown above has been entered in the departmental register to the head of Revenue deposit
Date _____

Signature of Tenderer
दाखिल करने वाले के हस्ताक्षर

Departmental Officer

FOR USE IN TREASURY खजाने में इस्तेमाल के लिए

Examined	Received	Entered No.
		Signature of
Initial of	Rs. (in figures) _____ Rs. (in words) _____	Accountant
Received	Signature of Treasurers	

Date _____

Treasury Officer

Seal